

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

अदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 117/2003-04 - विरुद्ध- आदेश दिनांक 19-2-2004 - पारित द्वारा अपर कलेक्टर पन्ना प्रकरण क्रमांक 17/2003-04 स्वमेव निगरानी

प्रशान्त प्रताप सिंह पुत्र बिजयप्रताप सिंह
ग्राम पड़रिया कलौ, तहसील पबई
जिला पन्ना म०प्र०
विरुद्ध

---आवेदक

1- म०प्र०शासन

2- इमिया पुत्र स्व. कृपईया गौड़
ग्राम पड़रिया कलौ तहसील पबई
जिला पन्ना मध्य प्रदेश

---अनावेदक

(आवेदक के अधीभाषक श्री राजेन्द्र जैन)
(अनावेदक के पत्रालाया श्री जादौन)

आ दे श
(आज दिनांक १०-४-२०१६ को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2003-04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

27 प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम पड़रिया कलौ स्थित भूमि अर्थात् क्रमांक 2581, 2583, 2584 कुल किला 3 कुल एकड़ 0.24 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) आवेदक ने अनावेदक क्रमांक 2 से पंजीकृत विक्रय के आधार पर कर की तथा विक्रय पत्र पर से तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सार्वजनिक क्रमांक 20 पर आदेश दिनांक 21-9-1999 से नामान्तरण कर दिया।

Mu

[Handwritten mark]

अनुविभागीय अधिकारी पबई द्वारा कलेक्टर पन्ना को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 2-7-2003 प्रस्तुत किया गया कि प्राप्त शिकायत की जाँच में पाया गया है कि तहसीलदार पवई द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 27-6-1994 से दिये गये पट्टे की भूमि का विक्रय बिना सक्षम अनुमति के कृपईया गौड़ द्वारा किया गया है एवं विक्रय पत्र पर से नामान्तरण पंजी के क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से नामान्तरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर से कलेक्टर पन्ना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध किया, वाद में यह प्रकरण अपर कलेक्टर पन्ना को हस्तांतरित होने पर प्रकरण क्रमांक 17/2003-04 स्वमेव निगरानी पर पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक-2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 19-2-2004 पारित करके ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से आवेदक के हित में किया गया नामान्तरण निरस्त करके भूमि विक्रेता कृपईया गौड़ पुत्र बुधुआ गौड़ के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र-2 के विरुद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गई है।


4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि रिकार्डेड भूमिस्वामी से क्रय की गई है तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न होने से उप पंजीयक ने विक्रय पत्र पंजीबद्ध किया है तथा इन्हीं कारणों से एवं



विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने के कारण ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 केता का विधिवत् नामान्तरण किया गया है जिस पर अतिविलम्ब से स्वमेव निगरानी दर्ज करके अपर कलेक्टर ने भूल की है क्योंकि स्वमेव निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम विलम्ब वावत् निर्णय लेना था। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

म0प्र0शासन के पैनल लायर ने बताया कि अपर कलेक्टर एवं कलेक्टर की शक्तियाँ समान है। अनुविभागीय अधिकारी को अवैध विक्रय का एवं अवैध नामान्तरण का पता चला, उन्होंने जाँच करके प्रतिवेदन दिया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। अपर कलेक्टर ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर भी दिया है। उन्होंने निगरानी निरस्त वावत् तर्क दिये।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदक क्रमांक-2 के पिता स्व. कृपईया गौड़ ने शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर उसके नाम दर्ज ग्राम पड़रिया कलों स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2581, 2583, 2584 कुल कित 3 कुल रकबा 0.45 हैक्टर को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आवेदक के हित में विक्रय की है और विक्रय पत्र के आधार पर केता आवेदक का ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 नामान्तरण किया गया है। यह विक्रय पत्र नामान्तरण आदेश दिनांक 21-9-99 के पूर्व का है तथा वादग्रस्त भूमि का पट्टा 27-6-1994 का होना अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 19-2-2004 में अंकित किया है तथा पट्टा भूमिस्वामी स्वत्व पर होने से तथा पट्टे की शर्तों का पालन करने के आधार पर



शासकीय अभिलेख में स्व. कृपईया गौड़ का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित रहा है, क्योंकि खसरे में भूमि विक्रय से बर्जित अंकित नहीं थी जिसके कारण भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का उप पंजीयक ने विक्रय पत्र संपादित किया है एवं तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21-9-99 से नामान्तरण किया है। विचार योग्य यह है कि क्या ऐसा भूमिस्वामी संहिता की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों से प्रतिबन्धित है ?


1. फुल्ला विरुद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 रा0नि0 256 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते । भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
2. (1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरुद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।
(2) विधि का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन- भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारण नहीं की जा सकती।
(3) भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा-50- स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग - पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किसी उपबंध के उल्लेखन के विषय में जानकारी में कब आया - 180 दिवस से वाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।



3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हों तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि वाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है।

विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 21-9-99 के विरुद्ध माह जुलाई वर्ष 2003 के वाद स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की है जिसमें 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब है एवं अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2003-04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 के पूर्व विलम्ब के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय न लेते हुये अंतिम आदेश पारित किया है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 त्रुटिपूर्ण है क्योंकि माननीय न्यायालयों के उक्त दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के हित में ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से किया गया नामान्तरण नियमानुसार होना पाया गया है, जिसके कारण अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 19-2-04 निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2003-04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम का नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से आवेदक के हित में किया गया नामान्तरण यथावत् रखा जाय।


(एम0के0सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर